## पावर ग्रिड कोपॉरशन ऑफ डंडिया लिमिटेड Power Grid Corporation of India Limited



स्चना का अधिकार अभिनियम 2005 के अंतर्गत केन्द्रीय लोक स्चना अधिकारी Central Public Information Officer under the RTI Act, 2005 केन्द्रीय कार्यालय, 'सौदामिनी', प्लाट नं.2, सैक्टर-29, गुडगांव, हरियाणा-122007



Corporate Centre, 'Saudamini', Plot No. 2, Sector-29, Gurgaon, Haryana-122007

PGCIL/R/T/20/00082

दिनांक: 13 October, 2020

SHRI PRADIP CHAKRABORTY, MANORA PEAK, NAINITAL, Pin-263001 Uttarakhand

विषय: सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत जानकारी।

महोदय / महोदया,

कृपया आर.टी.आई. अधिनियम, 2005 के तहत दिनांक 7 October, 2020 को प्रेषित अपने आर.टी.आई. अनुरोध का संदर्भ लें।

उपरोक्त पत्र मे वांछित जानकारी अनुलग्नक-। मे संलग्न है।

यदि आप केंन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी के उत्तर से संतुष्ट न हो तो, केंन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी के उत्तर की प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर पहले अपील प्राधिकारी के सम्मुख अपील की जा सकती है। आरटीआई अधिनियम, 2005 के तहत केंद्रीय कार्यालय, गुड़गांव में अपील प्राधिकारी का विवरण निम्नानुसार है:

## श्री बी.एन.डे.भौमिक,

कार्यपालक निदेशक (तकनीकी विकास) एवं अपील प्राधिकारी केंद्रीय कार्यालय, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, सौदामिनी, प्लॉट नंबर-2, सेक्टर-29, गुड़गांव-122001, हरियाणा। ईमेल आईडी: appellate.cc@powergrid.co.in फोन नंबर: 0124-2571790.2863616

धन्यवाद,

अवदीप,

मुख्य महाप्रबंधक (के. आ.) एवं के.लो.सू.अधिकारी

Email ID: cpio.cc@powergrid.co.in

Sub.: Reply to RTI Query by Shri Pradip Chakraborty, Uttarakhand.

## Information sought:

Dear Sir,

Would you please let me have the following information, which is too important for

Up to which Grade Pay, a Diploma Engineer can be promoted, within your esteemed ministry/department/institutes.

## Reply:

A person having a qualification of Diploma in Engineering can be promoted up to E5 level. Beyond E5 level promotion shall be granted only if the Corporate Promotion committee finds the competency of the executive to be equivalent to Graduate Engineer. ingh,

----X---